1/5/24 पत्रावली पेश/ वकील पक्षकार उपस्थित/
प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर
निस्तारित रजिस्टर पुस्तक में लिखा जाकर
पत्रावली शामिल किया जावे/ पत्रावली की नत्थी
सुधार के नम्बर से करके पत्रावली दाखिल
रिकॉर्ड नम्बर में शामिल हो

[signature]

सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर ([illegible]-तिजारा)

पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुण्डावर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक............ को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2024	04.01.2024	12.05.2025

बउनवान

1. एकता पुत्री गंगाराम जाति अहीर निवासी गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्री बोदन जाति अहीर निवासी गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रणवीर सिंह यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री हसंराज यादव –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीया को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थीया ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीया का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० न0 हाल 446/0.29 हैक0, 794/0.01 हैक0, 795/0.01 हैक0, 796/1.09 हैक0, 882/0.01 हैक0, 883/1.24 हैव0, 951/0.37 हैक०, का 1/9 भाग, ख० नं0 916/0.14 हैक0, 919/0.34 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं० 175/0.01 हैव0, 176/0.01 हैक0, 177/0.99 हैक०, का 4/297 भाग, ख० नं0 940/0.01 हैव0, 941/0.59 हैव0, 942/0.15 हैक0, 943/0.15 हैक0, 944/0.24 हैक0, 979/0.13 है0, 982/0.08 हैक0, 984/0.22 हैव0, का 1/24 भाग, ख० नं० 570/0.19 हैक0, 574/0.23 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं0 572/0.09 हैव०,

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

573/0.09 हैक्0, का 1/24 भाग, ख० नं0 917/0.08 हैक्0, 918/0.08 हैक्0, 946/0.34 हैक्0, 947/0.14 हैक्0, 948/0.14 है0, 980/0.01 हैक्0, 981/0.22 हैक्0, 983/0.11 हैक्0, का 1/24 भाग, ख० नं0 646/0.16 है0, 647/0.14 है40, 648/0.18 हैक्0, 649/0.14 है0, 650/0.62 हैक्0, का 1/24 भाग, ख० नं0 480/0.09 हैक्0, 483/0.18 हैक्0, 484/0.18 हैक्0, 485/0.14 हैक्0, 487/0.11 हैक्0, का 1/24 भाग, 429/0.38 हैक्0, 430/0.15 हैक्0, 431/0.12 हैक्0, 432/0.11 हैक्0, का 1/24 भाग, ख० नं0 797/0.29 हैक्0, 802/0.30 हैक्0, 815/0.20 हैक्0, 816/0.22 हैक्0, का 1/18 भाग, ख० नं0 830/0.81 हैक्0, 831/0.81 हैक्0, का 1/18 भाग, ख० नं0 18/1.49 हैक्0, 19/1.38 हैक्0, का 1/6 भाग, ख० नं0 29/1.53 हैक्0, 31/0.01 हैक्0, 32/0. 64 हैक्0, का 1/6 भाग वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर कमशः इस प्रकार है कि 388, 695, 865, 824, 791, 792, 139, 814, 815, 816, 817, 850, 852, 854, 489, 493, 491, 492, 792, 793, 819, 820, 821, 851, 853, 555, 556, 557, 558, 559, 420, 423, 424, 425, 427, 371, 372, 373, 374, 696, 700, 710, 711, 725, 726, 13, 14, 22 से हाल खसरा नम्बर प्रार्थना पत्र के पैरा सं० 3 में दर्ज खसरा नम्बर सम्वत् 2071 के सैटलमेन्ट द्वारा पैमूद किये गये है। ताईद में मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

5. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीया की खानदानी है जो प्रार्थीया के दादा बोदनराम से जरिये विरासत असल अप्रार्थी सं० 1 को प्राप्त हुयी है, दादा की फौतगी पर असल अप्रार्थी सं० 1 ने सालिम भाग अपने नाम दर्ज करा लिया और आज वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में विरासत से प्राप्त सालिम भाग अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज है।,

6. यह है कि आराजी के मूल खातेदार दादा बोदनराम सन् 2009 में फौत हुये है उसके बाद ही असल अप्रार्थी सं0 1 व बोदनराम दादा के अन्य पुत्रों के नाम विरासत दर्ज हुयी है। आराजी मुतनाजा खानदानी होने से प्रार्थीया को बाई बर्थ हक हकूक हांसिल है। प्रार्थीया को कानूनन आराजी में खातेदारी अधिकार हांसिल है। आराजी मुतनाजा में प्रार्थीया असल अप्रार्थी सं० 1 व तरप्रतिवादीया को समान अधिकार हांसिल है। प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया व असल अप्रार्थी सं० 1 के समान सम्भाग की मालिक खातेदार काश्तकार है।

7. यह है कि आराजी मुतनाजा राजस्व रिकोर्ड में तन्हा असल अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज होने से असल अप्रार्थी सं० 1 अपनी बुरी संगत व दीगर लोगो के चगुल में फंसने से आराजी को मुन्तकिल करने पर उतारू है। प्रार्थीया की माताजी का स्वर्गवास हो गया है और प्रार्थीया के कोई भाई नहीं है

मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया ही असल अप्रार्थी सं० 1 की वारिस है। प्रार्थीया की माता फौत होने के बाद से असल अप्रार्थी सं० 1 बुरी संगत में पड गया है और अब दीगर लोगों के चगुल में फंस जाने के कारण प्रार्थीया व स्वंय के भविष्य की चिंतान नहीं कर रहा है ना ही अपने बुढापे की चिंता कर रहा है वर्तमान दौर में जो लोग असल अप्रार्थी सं० 1 को सिर चढा रखा है वो आराजी का बैयनामा कराते ही दूर हट जायेगें उसके बाद असल अप्रार्थी सं० 1 के पास जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा अभी असल अप्रार्थी सं० 1 समझाईश की किसी बात पर गौर नहीं कर रहा है एवं ना ही किसी भी समझदार व्यक्ति की बात मान रहा है। गांव के समझदार लोगो व रिश्तेदारों ने असल अप्रार्थी सं० 1 को अनेक बार समझा लिया है लेकिन असल अप्रार्थी सं० 1 को सभी समझ की बाते बुरी लगने लगी है जो भी असल अप्रार्थी सं० 1 को समझाता है असल अप्रार्थी सं० 1 उस व्यक्ति से बोल चाल बंद कर देता है। असल अप्रार्थी सं० 1 अपनी बुरी संगती के कारण प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के बारे में भी कोई खैर खबर नहीं रखता है, कभी तीज त्यौहारों की रस्म पूरी नहीं करता है यदि असल अप्रार्थी सं० 1 इसी प्रकार करता रहा तो खानदानी आराजी को बिना किसी उचित कारण के व बिना किसी विधिक आवश्यकता के आराजी का बेचान करने से प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। आराजी के विकय से अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा। इसलिये दौराने प्रार्थना पत्र आराजी को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिये असल अप्रार्थी सं० 1 को जरिये हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि पैरा सं० 1 में दर्ज आराजी वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर को कहीं दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के हिस्सो में कब्जे काश्त में दखलनदायी ना करे ना ही दीगर व्यक्तियों से करावे।

8. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीया एवं तरप्रतिवादीया की खानदानी आराजी है जिसमें प्रार्थीया एवं तरप्रतिवादीया को जन्म से अधिकार सृजित हो गये है, इसलिये आराजी मुतनाजा प्रार्थना पत्र के पैरा सं० 3 में दर्ज वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर में से प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया को सम्भाग 2/3 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं असल अप्रार्थी सं० 1 का नाम प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के हिस्से तक कलमजन किये जाने व उसके स्थान पर प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
9. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया एवं असल अप्रार्थी सं० 1 की सामलाती अबट आराजी है अविभाजित है कोई लिखित या मौखिक बंटवारा, उक्त आराजी का नहीं हुआ है जबकि मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ मिन

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थीया सामलाती आराजी में अपने अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारणी है खातेदारी की फाईनल डिकी जारी कराने की अधिकारी है।

10. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया एवं असल अप्रार्थी सं० 1 की सामलाती आराजी है और अगर असल अप्रार्थी सं० 1 उक्त आराजी को दीगर जगह खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है तथा मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतू प्रार्थना पत्र इश्तकरारहक हु० ई० दवामी व तकासमा पेश करना लाजिम आया है।

11. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्राईमाफेसाई केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंश बहक प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया के पक्ष में है जिस कारण मिन प्रार्थीया व तरप्रतिवादीया असल अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित आराजी ख० नं० हाल 446/0.29 हैव0, 794/0.01 हैक0, 795/0.01 हैक0, 796/1.09 हैक0, 882/0.01 हैक0, 883/1.24 हैक0, 951/0.37 हैक०, का 1/9 भाग, ख० नं0 916/0.14 हैक0, 919/0.34 हैव०, का 1/24 भाग, ख० नं0 175/0.01 हैक0, 176/0.01 हैक0, 177/0.99 है0, का 4/297 भाग, ख० नं0 940/0.01 हैक0, 941/0.59 हैव0, 942/0.15 हैक0, 943/0.15 हैक0, 944/0.24 हैक0, 979/0.13 हैव0, 982/0.08 हैक0, 984/0.22 हैक0, का 1/24 भाग, ख० नं० 570/0.19 हैव0, 574/0.23 है0, का 1/24 भाग, ख० नं० 572/0.09 हैव0, 573/0.09 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं0 917/0.08 हैक०, 918/0.08 हैक0, 946/0.34 हैव0, 947/0.14 है40, 948/0.14 हैव०, 980/0.01 हैक0, 981/0.22 हैव0, 983/0.11 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं0 646/0.16 हैव0, 647/0.14 है0, 648/0.18 हैव0, 649/0.14 हैव०, 650/0.62 है0, का 1/24 भाग, ख० नं0 480/0.09 हैव०, 483/0.18 हैक0, 484/0.18 हैक0, 485/0.14 हैव0, 487/0.11 है0, का 1/24 भाग, 429/0.38 हैक0, 430/0.15 हैव0, 431/0.12 हैव0, 432/0.11 है0, का 1/24 भाग, ख० नं0 797/0.29 है0, 802/0.30 हैव०, 815/0.20 हैक0, 816/0.22 है0, का 1/18 भाग, ख० नं० 830/0.81 हैक0, 831/0.81 हैक०, का 1/18 भाग, ख० नं0 18/1.49 है0, 19/1.38 हैक0, का 1/6 भाग, ख० नं0 29/1.53 है0, 31/0.01 हैव0, 32/0.64 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है को दीगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 1 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें कामयाबी की कोई संभावना नही है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र का पद सं0 2 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीया के पक्ष में प्राईमा फैसाई आयद नही होता है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 3 केवल इस हद तक सही है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है शेष जिमन गलत है स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 4 प्रार्थीया स्वयं सिद्ध करें।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है वादग्रस्त आराजी मिन अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जो राजस्व रिकार्ड में मिन अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज है जिस पर मिन अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे किसी दीगर का कोई संबंध सरोकार नहीं है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नमबर 6 गलत है स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी मिन अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी आराजी है जिससे किसी दीगर का कोई संबंध सरोकार नहीं है प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया मिन अप्रार्थी सं० 1 की पुत्री है जिसको मिन अप्रार्थी सं० 1 ने बडे लाड चाव से पालान पोषण किया तथा उसको शिक्षा दीक्षा दिलाई तथा उसका विवाह आदि किया अर्थात मिन अप्रार्थी सं० 1 ने अपनी पुत्री के समस्त दायित्वों का बखुबी से निवर्हन किया तथा सभी तीज त्यौहारों पर प्रार्थीया का पित्ता होने के नाते उसे मंगाना व अपनी श्रद्धा अनुसार नेग कपडे लत्ते आदि देना अप्रार्थी सं० 1 करता आ रहा है। जिस सूरत में प्रार्थीया का कोई हक हकूक वादग्रस्त आराजी में नही बनता है। प्रार्थीया ने झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपने ससुराल पक्ष के प्रभाव में आकर यह वाद प्रस्तुत किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 7 पूर्णतया मनगढंत, काल्पनिक एवं बेबुनियादी है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नही है। बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया ने अपने ससुराल पक्ष के बहकावे में आकर यह प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है मिन अप्रार्थी सं० 1 के कोई पुत्र न होने के कारण प्रार्थीया उक्त वादग्रस्त आराजी से मिन अप्रार्थी सं० 1 को जबरन बिना किसी हक व अधिकार के बेदखल करना चाहती है तथा मिन अप्रार्थी सं० 1 को बर्बाद करना चाहती है जबकि

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
(खैरथल-तिजारा)

वादग्रस्त आराजी ही एकमात्र मिन अप्रार्थी सं० 1 के आय का स्त्रोत है। जिसकी खेतीबाड़ी से ही मिन अप्रार्थी सं० 1 अपनी आजीविका कमाता है तथा अपना पालन पोषण करता है प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं० 1 के जीवित रहते कोई हक व अधिकार नहीं है बल्कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं० 1 से छीनकर वादग्रस्त आराजी को बेचान कर उसकी राशि अपने ससुराल पक्ष को देना चाहती है जिस सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

8. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 8 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हकूक नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर मिन अप्रांथी सं० 1 काबिज रहकर काश्त कर रहा है जिससे प्रार्थीया का कोई संबंध सरोकार नही है। जिस सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

9. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 9 गलत है स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत रूप से बाहामी बंटवारा किया हुआ है तथा अप्रार्थी सं० 1 व तरतीबी अप्रार्थी सं० 4 मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर करश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है ना ही आज है जिस सूरत में प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान से कोई घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

10. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 10 गलत है स्वीकार नही है। जब प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा ही नही है तो प्रार्थीया को किसी प्रकार की असहनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। मिन अप्रार्थी सं० 1 अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है प्रार्थीया मिन अप्रार्थी सं० 1 को किसी भी प्रकार की हुक्म ईग्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

11. यह कि प्रार्थना पत्र का जिमन नम्बर 11 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्राईमाफेसाई केस व बैलेंस ऑफ गंगाराम कन्वीनेन्स नही है जिस सूरत में प्रार्थीया मिन अप्रार्थी सं० 1 को किसी भी प्रकार की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से अर्ज है कि मिन अप्रार्थी सं० 1 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सुह

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुख्यालय (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कथन कहे है कि विवादित आराजी दादालाई है। गंगाराम प्रार्थी के पिता है। गंगाराम को जरिये विरारत प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता गलत संगत में होने के कारण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है। यदी विवादित आराजी को प्रार्थी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खुर्द बुर्द कर देता है तो प्रार्थी को भारी भारी हानी होने का अंन्देशा है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना सही है कि विवादित आराजी दादालाई है। अप्रार्थी कोई गलत संगत में नही है और ना ही अप्रार्थी विवादित आराजी का बेचान करना चाहता है। अप्रार्थी कृर्षि विस्तार हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है। अप्रार्थी की मृत्यु के पश्चात में प्रार्थी का हक हिस्सा है। विवादित आराजी पर राजस्व रिकोर्ड का स्थगन होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन नही मिल पा रहा है। अप्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति है, कानून की पालना करता है। कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में कोई विवादित आज दिनांक तक नही हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मनगंढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सहखातेदार है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है कि किसी खातेदार काश्तकार को किसी विशेष परिस्थितियो में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया कि किस विशेष परिस्थितियो के कारण अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी अप्रार्थी की पुत्री है। यदी अप्रार्थी विवादित आराजी का बेचान कर देता है तो प्रार्थी को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति होने की प्रबल संभावना है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक विवादित आराजी ख० नं० हाल 446/0.29 हैव0, 794/0.01 हैक0,

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)

795/0.01 हैक0, 796/1.09 हैक0, 882/0.01 हैक0, 883/1.24 हैक0, 951/0.37 हैक०, का 1/9 भाग, ख० नं0 916/0.14 हैक0, 919/0.34 हैव०, का 1/24 भाग, ख० नं0 175/0.01 हैव0, 176/0.01 हैव0, 177/0.99 है0, का 4/297 भाग, ख० नं0 940/0.01 हैव0, 941/0.59 हैव0, 942/0.15 हैव0, 943/0.15 हैव0, 944/0.24 हैव0, 979/0.13 हैव0, 982/0.08 हैव0, 984/0.22 हैव0, का 1/24 भाग, ख० नं० 570/0.19 हैव0, 574/0.23 है0, का 1/24 भाग, ख० नं० 572/0.09 हैव0, 573/0.09 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं0 917/0.08 हैक०, 918/0.08 हैव0, 946/0.34 हैव0, 947/0.14 है40, 948/0.14 हैव०, 980/0.01 हैव0, 981/0.22 हैव0, 983/0.11 हैक०, का 1/24 भाग, ख० नं0 646/0.16 हैव0, 647/0.14 है0, 648/0.18 हैव0, 649/0.14 हैव०, 650/0.62 है0, का 1/24 भाग, ख० नं0 480/0.09 हैव०, 483/0.18 हैव0, 484/0.18 हैव0, 485/0.14 हैव0, 487/0.11 है0, का 1/24 भाग, 429/0.38 हैव0, 430/0.15 हैव0, 431/0.12 हैव0, 432/0.11 है0, का 1/24 भाग, ख० नं0 797/0.29 है0, 802/0.30 हैव०, 815/0.20 हैव0, 816/0.22 है0, का 1/18 भाग, ख० नं० 830/0.81 हैव0, 831/0.81 हैव०, का 1/18 भाग, ख० नं0 18/1.49 है0, 19/1.38 हैव0, का 1/6 भाग, ख० नं0 29/1.53 है0, 31/0.01 हैव0, 32/0.64 है0, का 1/6 भाग वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0